न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: –35/2024 प्रार्थना पत्र

GCMS No.–2024/111

1. श्री किशना उर्फ किशनलाल पिता मगना उर्फ मगनीराम जी कीर आयु 71 साल निवासी साकरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

......प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक पिता जगदीशचन्द जी जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. श्री राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।

......विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक :– 01.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है किप्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित हैं। जिसके नवीन खाता संख्या 373 में आ० न० 208 रकबा 0.3300 हेक्टेयर लगानी 6.2700 रूपये, आ० न० 209 रकबा 0.3300 हेक्टेयर लगानी 6.2700 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 0.6600 हेक्टेयर कुल लगानी 12.5400 रूपये वाके दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात शामलाती होकर इसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2. उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा यानि 0.3300 हेक्टेयर आराज दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खातेदार दिलीप कुमार नाहर के 49/352 एवं खातेदार यशवन्त के 49/352 सॉ हक हिस्सा यानि 0. 0918 हक हिस्सा, खातेदार पानीबाई का 13/528 वॉ हक हिस्सा यानि 0.0162 हक हिस्सा, खातेदार अयुब शाह व रईस खान खातेदार दोनों के 1/66 –1/66 वॉं हक हिस्सा यानि 0.0100– 0.0100 हेक्टेयर हक हिस्सा तथा खातेदारमेहरूनिसा के 1/6 वॉ हक हिस्सा यानि 0.1100 हेक्टेयर जमीन दर्ज राजस्वरेकार्ड स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में मौका स्थिति अनुसार मुझ प्रार्थी काहक हिस्सा आराजी के उत्तरी दिशा [illegible] मेरे पास स्थित है। उसके बादशेष भाग दक्षिण व पूर्व दिशा में अन्य [illegible] रों के मौके पर स्थित है। मौकास्थिति अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की [illegible] बॉयमिट्स एण्ड बाउण्डस नपनी कराई [illegible] अशोककीर के [illegible] पर उक्त वर्णित वादगस्त आराजीयात [illegible] दर्ज नहीं है।केवल [illegible] आराजीयात का पडोसी होने से जबरन मौके पर [illegible] कर अन्यभुमाफिया [illegible] बहकावें में आकर उनको साथ में रखकर जबरन अवैध कब्जाकर जमीन अन्य लोगों को फर्जी तरीके से बेचने की धमकिया दे रहे। वादग्रस्तआराजीयात के मौके की स्थिति में भारी परिवर्तन करने पर आमादा हो रहे है।वादग्रस्त आराजीयात के उत्तरी दिशा में जे०सी० बी० से खाई लगाकर रात्री केसमय फुट के पत्थर लाकर डाल दिये ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:56:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे कीजमीन में परिवर्तन करना चाहता है। पुराने बडे बडे पेडे–पौधों को काटने कीधमकिया दे रहा है। इसलिए विपक्षी अशोक कीर को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सेपाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

3. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये तथा विपक्षी संख्या 2 पत्रावली में अपना जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया

5. बहस विद्वान अधिवक्ता एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है । हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे।उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेशः–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीके पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा साकरिया पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित हैं। जिसके नवीन खाता संख्या 373 में आ० न० 208 रकबा 0.3300 हेक्टेयर लगानी 6.2700 रूपये, आ० न० 209 रकबा 0.3300 हेक्टेयर लगानी 6.2700 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 0.6600 हेक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे।खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:56:33 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner